पुलिस विभाग अजमेर

प्रेस नोट 10.01.2018

गिरफतारी वारण्टी में दो वारण्टी गिरफतार

पुलिस थाना रामगंज में पुलिस अधीक्षक जिला अजमेर राजेन्द्र सिंह के निर्देशानुसारपैण्डिंगस्थायीवारण्टी/299 अरपीसी/पीओ/मफरूर/गिरफतारी वारण्टीओं के खिलाफ चलाये जा रहे विशेष अभियान के तहत आज दिनांक 10.01.18 को गिरफतारी वारंटी 1– रमेश पुत्र बच्चूराम जाति गुजराती उम्र 45 साल निवासी मरूधर केसरी भवन जोधपुर रोड जैतारण पाली हाल खानाबदोश राजू होटल ब्यावर रोड रामगंज अजमेर 2– रेखा पत्नी रमेश जाति गुजराती उम्र 55 साल निवासी मरूधर केसरी भवन जोधपुर रोड जैतारण पाली हाल खानाबदोश राजू होटल ब्यावर रोड रामगंज अजमेर को न्यायालय जेएम नं. 01 अजमेर से कोर्ट केश नं. 631/14 धारा 454,380 भादस मे जारी गिरफतारी वारंट मे गिरफतार किया गया।

13 वाहनों चालकों के खिलाफ एमवी एक्ट की कार्यवाही की गई।

पुलिस थाना अलवर गेट में पुलिस अधीक्षक जिला अजमेर के आदेशो की पालना मे आज दिनांक को नियम के विरूद्व वाहन चलाते पाये जाने पर 13 वाहनों चालकों के खिलाफ एमवी एक्ट की कार्यवाही की गई।

पुलिस विभाग अजमेर

प्रेस नोट 09.01.2018

आर्म्स एक्ट मे एक मुल्जिम गिरफतार, अब तक 3 व्यक्ति गिरफतार तीन मुकदमे दर्ज

पुलिस थाना रामगंज में पुलिस अधीक्षक जिला अजमेर राजेन्द्र सिंह के निर्देशानुसार एंव पुलिस अधीक्षक मोनिका सेन आईपीएस वृत दक्षिण नगर अजमेर के कुशल नेतृत्व व थानाधिकारी अजयकांत पुनि के निर्देशन मे मुकेश कुमार सउनि मय जाप्ता द्वारा संतकंवर राम स्कूल के पास अजमेर पर मुल्जिम अमृत पुत्र मुकनाराम जाति सांसी उम्र 20 साल निवासी सांसी बस्ती भगवानगंज थाना रामगंज अजमेर के कब्जे से बिना लाईसेंस के अवैध रूप से निर्धारित नाप से लंबा एक धारदार चाकू पाया जाने पर धारदार चाकू को जप्त कर मुल्जिम को गिरफतार किया जाकर मुल्जिम के विरूद्व मुकदमा नं 09/18 धारा **4/25 आर्म्स एक्ट मे** दर्ज किया गया। थाना पर इस माह अब तक अवैध धारदार हथियार रखने वाले तीन मुल्जिमों को गिरफतार किया जाकर तीन अवैध धारदार हथियार जप्त किये जा चुके है।

सटटे की खाईवाली करता हुआ मुल्जिम गिरफतार, अब तक जुआ अधिनियम मे तीन मुकदमें दर्ज

पुलिस थाना रामगंज में पुलिस अधीक्षक जिला अजमेर राजेन्द्र सिंह के निर्देशानुसार एंव पुलिस अधीक्षक मोनिका सेन आईपीएस वृत दक्षिण नगर अजमेर के कुशल नेतृत्व व थानाधिकारी अजयकांत पुनि के निर्देशन आज दिनांक 09.01.18 को युनुस अली उनि मय जाप्ता द्वारा जौसगंज फाटक के पास अजमेर पर दबीश देकर मौके पर सटटे की खाईवाली कर रहे मुल्जिम लोकेश सिंह पुत्र दुर्गा सिंह जाति कोली उम्र 28 साल निवासी गौतमनगर रोजमेल प्रेस के पास थाना रामगंज अजमेर के कब्जे से जुआ सटटा राशी 400 रू जप्त कर मुल्जिम को गिरफतार किया जाकर मुकदमा नंबर 10/18 धारा 13 आरपीजीओ मे दर्ज किया गया। अब तक माह के दौरान थाना पर सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेलना/सटटे की खाईवाली करने वाले मुल्जिमानों के विरूद्व तीन मुकदमें आरपीजीओ अधिनियम मे दर्ज किये जा चुके है। इसी प्रकार आबकारी अधिनियम मे अब तक माह के दौरान थाना हाजा पर तीन मुल्जिमों को गिरफतार किया जाकर उनके खिलाफ आबकारी अधिनियम मे तीन मुकदमें दर्ज किये जा चुके है।

एक गिरफतारी वारण्टी गिरफतार, अब तक 7 स्थायी वारंटी व 13 गिरफतारी वारंटियों की गिरफतारी/तामील

पुलिस अधीक्षक जिला अजमेर राजेन्द्र सिंह के निर्देशानुसार एंव पुलिस अधीक्षक मोनिका सेन आईपीएस वृत दक्षिण नगर अजमेर के कुशल नेतृत्व मे पैण्डिंग स्थायी वारण्टी/299 सीआरपीसी/पीओ/मफरूर/गिरफतारी वारण्टीओं के खिलाफ चलाये जा रहे विशेष अभियान के तहत आज दिनांक 09.01.18 को गिरफतारी वारंटी प्रवीण कुमार पुत्र रामनारायण जाति ब्राहम्मण उम्र 59 साल निवासी म0न0 442/27 चौडी गली जौसगंज पुलिस

थाना रामगंज अजमेर को न्यायालय जेएम नं. 04 अजमेर से कोर्ट केश नं. 1026/17 मे जारी गिरफतार किया गया। अब तक माह के दौरान थाना हाजा पर 7 स्थायी वारंटी व 13 गिरफतारी वारंटीयों को गिरफतार/तामील किया गया।

3 व्यक्ति शांती व्यवस्था भंग करने पर गिरफतार, अब तक समाज कंटक/बदमाशन व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही मे 34 व्यक्ति गिरफतार

पुलिस थाना रामगंज में आगामी लोकसभा उप चुनाव को मध्यनजर रखते हुये एंव शांती व्यवस्था भंग करने पर आज दिनांक 09.01.18 को 1– मनोज पुत्र श्री दिलीप जाति सांसी उम्र 25 साल निवासी पुरानी चांदमारी पहाडगंज थाना रामगंज अजमेर 2– रमेश उर्फ टिंकू पुत्र सुगनचंद जाति सांसी लबाना बस्ती पहाडगंज अजमेर 3– कालू उर्फ कान्हा पुत्र श्री चमन सांसी निवासी पुरानी चांदमारी पहाडगंज थाना रामगंज अजमेर को धारा 151 जाफौ मे गिरफतार किया गया। अब तक माह के दौरान समाज कंटक/बदमाश व्यक्तियों के विरूद्व कार्यवाही मे 34 व्यक्तियों को गिरफतार किया जा चुका है। इसी तरह अब तक थाना हाजा पर कुल 5 इस्तगासे मे 13 व्यक्तियों को थाना हाजा क्षैत्र मे शांती व्यवस्था बनाये रखने हेतु माह के दौरान पाबंद करवाया जा चुका है।**अब तक 23 वाहनो को धारा 185 एमवी एक्ट मे एंव 17 वाहनो को धारा 207 एमवी एक्ट मे जप्त किया जाकर एमवी एक्ट की अन्य धाराओं मे 66 वाहनो के चालान बनाये गये। अब तक माह के दौरान पूर्व मे बदमाशन व्यक्तियों के खिलाफ पाबंद की कार्यवाही मे 07 अपराधियों को धारा 110 सीआरपीसी के तहत पाबंद करवाया जा चुका है।**

लोक सभा उप चुनाव को मध्य नजर रखते हुये 13 व्यक्तियों के विरूध्द कार्यवाही।

पुलिस थाना क्लॉक टावर में पुलिस अधीक्षक जिला अजमेर राजेन्द्र सिंह के आदेशानुसार वांछित अपराधियों की धरपकड हेतु चलाये जा रहे अभियान के तहत आज दिनांक 09.01.18 को सहायक पुलिस अधीक्षक मोनिका सेन आई.पी.एस. वृत (दक्षिण) अजमेर के निर्देशन में थानाधिकारी रामअवतार पु. नि. के नेतृत्व में थाना हाजा स्तर पर टीम का गठन कर स्थायी वारण्टी 01.आनन्द कुमार पुत्र सुरेश कुमार निवासी भांग बावडी रावण की बगीची अजमेर व दो गिरफ्तारी वारण्टियों को गिरफ्तार किया गया जाकर निस्तारण किया गया व लोक सभा उप चुनाव को मध्य नजर रखते हुये आपराधिक, बदमाश प्रवृति के 10 व्यक्तियों को शांति भंग कर लडाई झगडा करते हुये को धारा 151 सी आर पी सी में गिफ्तार किये गये व 09 व्यक्ति 60 पुलिस एक्ट व 110 सी आर पी सी में 01 व एम.वी. एक्ट के तहत 10 कार्यवाही की गयी। अभियान निरन्तर जारी रहेगा ।

अवैध शराब सहित एक आरोपी गिरफ्तार

पुलिस थाना अलवर गेट में पुलिस अधीक्षक जिला अजमेर के निर्देशानुसार चलाये गये अभियान के तहत थानाधिकारी अधिकारी, थाना अलवर गेट, अजमेर विषय प्रकरण दर्ज कर कानूनी कार्यवाही करने चान्दसिंह मय जगराम बाबूलाल के मय अनुसंधान बॉक्स मय व्यक्तिगत लेपटाप मय प्राईवेट वाहन के इलाका गश्त व जुरायम कन्ट्रोल हेतु चौकी नारेली से

रवाना होकर गश्त करते हुए नारेली तिराया के पर पहुंचे जहां पर मुखबीर खास ने मन हैड कानि को सूचना दी कि एक व्यक्ति राजू ईट भट्टे के पास झाडियों कि आड मे पीले कटटे मे शराब के पव्वे बैच रहा है तुरन्त पकडा जावे तो भारी मात्रा में शराब बरामद हो सकती है, आदि इत्तला विश्वसनीय होने से हमराही जाप्ते को इत्तला से अवगत कराकर जगराम को दो स्वतंत्र गवाह मामूर कर लाने हेतु रवाना किया जिसने कुछ समय पश्चात वापस आकर बताया कि कोर्ट कचहरी के चक्कर में तथा स्थाानीय मामला होने के कारण कोई व्यक्ति गवाह बनने को तैयार नहीं है जिस पर हमराही जाप्ता में से जगराम बाबूलाल को ही गवाह मामूर कर नारेली चौराहा सामने से रवाना होकर राजू ईट भटटे के पास नारेली अजमेर पहुंचे जहां से बताये हुलिये का एक व्यक्ति नजर आया जो हाथ मे पीला कटटा लिये खडा था जिसे बीट जगराम ने पहचान कर उसकी और हाथ का इशारा कर बताया कि वो शैतान गुर्जर पुत्र भोलू निवासी भटटे के पास नारेली का रहने वाला है जैसे ही मन हैड कानि मय पुलिस जाप्ता के उसकी और मुडे तो वह एक दम पुलिस जाप्ता को देखकर कटटा छोडकर झाडियों मे भागने लगा जिसका पीछा हैड कानि व हमराह मुलाजमानो ने किया तो वह नही मिला जिस पर हैड कानि ने हमराह मुलाजमानो के समक्ष पीले कटटे चेक किया तो कटटे मे 50 पव्वे देशी मदिरा सादा40 यूपी 180 एम. एल. मिले जिस पर 180 एमएल लेवल जिसके लाल ढक्कन पर हिन्दी मे राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स लि. लिखा हुआ कुल 50 पव्वे प्रत्येक पर लाल ढक्कन पर हिन्दी मे राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स लि. लिखा हुआ पाया शैतान गुर्जर पुत्र भोलू निवासी भटटे के पास नारेली का इस तरह पुलिस जाप्ते को देखकर भागने मे सफल होना व बिना लाईसेन्से व परमिट के अपने कब्जे मे इतनी मात्रा में शराब रखकर बैचना अपराध धारा 19/54 राज. आबकारी अधिनियम 1950 के तहत दण्डनीय अपराध होने से उक्त शराब को बतौर

वजह सबूत जरिये फर्द जप्ती के जप्त कर कब्जे पुलिस में लिया जाकर शराब के 50 पव्वों मे से देशी मदिरा सादा जिनमे से एक पव्वा् रासायनिक परीक्षण हेतु निकाल कर नमूना सैम्पल शिल्ड मोहर कर नमूना सैम्पूल पर मार्का । व शेष 49 पव्वों को पीला प्लास्टीक के कटटे में रखकर मार्का ठ अकित किया व फर्द पर नमूना शील अकिंत की जाकर शील्ड मोहर कर चिट चेपा किया गया मोके की कार्यवाही कर हैड कानि मय जाप्ता मय फर्द जब्ती शराब जप्त शुदा शराब नमूना सैम्पल मार्का । अनुसंधान अधिकारी पुलिस थाना अलवर गेट, अजमेर कार्यवाही पुलिस थाना अलवर गेट जिला अजमेर आदि रिपोर्ट पर प्रकरण संख्या 21/18 धारा 19/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950 में दर्ज कर अनुसंधान सुरेन्द्र सिंह के जुम्मे कर प्रकरण का अनुसंधान आरम्भ किया •या।

शांती भंग के आरोप में 65 आरोपी गिरफ्तार

पुलिस थाना सरवाड में 1 जुमन पुत्र भाकर हुसैन निवासी आसापुर जिला वाराणसी युपी, 2 रहमान मुल्ला पुत्र शब्बीर निवासी हनुमन्तवाडी जिला बीदर कर्नाटका 3 मोहम्मद शाबीर पुत्र मोहम्मद अली निवासी शनीचरजी का नाला जयपुर, 4 मोहम्मद नुर इस्लाम पुत्र अब्दुल सम्मद निवासी सरवाड जिला अजमेर, 5 मोहम्मद ईन्तीयाज पुत्र मस्तफा निवासी मजाडी जिला भगवा, 6 गुड्डु पुत्र फरियाद निवासी टाटोटी थाना भ्निाय जिला अजमेर, 7 मुराद अली पुत्रअल्लादीन अंसारी हाथखाल बलघट्टा गोरखपुर, 8 मोहम्मद सगीर पुत्र मोहम्मद इस्लाम निवासी कलकता दरगाह बाजार , 9 नासीर पुत्र रहमान निवासी सामीना जिला लखनउ, 10 सहीद अब्दुल कादीर पुत्र रसुल खान निवासी भील बस्ती सरवाड, 11 शेख अबद्दुल करीम पुत्र अहमद खां निवासी नाथ मोहल्ला सरवाड जिला अजमेर, 12 नादीर

पुत्र नुर मोहम्मद निवासी मल्लार की घांटी महाराष्ट्र, 13 खली कुन्जबा पुत्र सद्दीक बकसावा निवासी बिहार, 14 मोहम्मद अनीफ पुत्र ईदरीस निवासी बाराबंकी लखनउ, 15 मोहम्मद सुल्तान पुत्र बाबु शेख निवासी कल्याण बोम्बे, 16 मुशीराम पुत्र बोजीराम जाति जाट निवासी दिल्ली, 17 मोहम्मद सकील पुत्र हक्कीमुद्दीन निवासी मामुसाहब की दरगाह सरवाड, 18 मोहम्मद ईलियास पुत्र मोहम्मद रफीक निवासी रानीगंज युपी, 19 मोहम्मद सागीर पुत्र जहीरनिवासी सरवाड जिला अजमेर , 20 दरियाव शेख पुत्र नारायण शेख जाति ठाकुर निवासी करोल बाग नई दिल्ली , 21 मोहम्मद बच्चु शेख पुत्रजमाल शेख निवासी सरवाड जिला अजमेर, 22 रिहाज उल्लशेख पुत्र जान मोहम्मद निवासी हरिकिशनपुर वेस्ट बंगाल , 23 दादा हकीम अली पुत्र रुखमान दादा ठाकुर निवासी सरवाड जिला अजमेर, 24 असलम शेख पुत्र सलीम शेख सन्तोषपुर , 25 श्रीमति यासमीन पत्नि मोहम्मद निवासी भागलपुर बिहार, 26 श्री मति सहराबानो पत्नि महमुदखा निवासी राजा मण्डी आगरा युपी, 27 श्रीमति सरवरीदेवी पत्नि समसाद जाति मुस्लमान निवासी मज्जफरनगर युपी, 28 अंगुरी बेगम पत्नि सलीम शेख निवासी सन्तोषपुर पश्चिम बंगाल, 29 अब्बास मुहम्मद पुत्र मोहम्मद निवासी राणपुर जिला अहमदाबाद गुजरात, 30 अत्ताउल्ला पुत्र इनामउ्ल्ला निवासी हरिव्दार, 31 कय्युम मोहम्मद पुत्र फकीर मोहम्मद निवासी अजमेर, 32 परवेज आलम पुत्र अली हसन निवासी बनारस युपी, 33 कालु पुत्र अनवर शेख निवासी टांटोटी भिनाय जिला अजमेर, 34 अब्दुल रहमान पुत्र खुश मोहम्मद निवासी कांकीनाडा जिला पश्चिम बंगाल, 35 अहम्मद पुत्र मोहम्मद दलाई निवासी दरगाह बाजार सरवाड अजमेर, 36 शरफराज पुत्र मुमताज निवासी दरगाह बाजार सरवाड निवासी अजमेर, 37 रफीख पुत्र जलील निवासी सरवाड, 38 शेख ईब्राहीन पुत्र अहमद हुसैन निवासी पीरु कलीयार हरिव्दार, 39 राजेश राव पुत्र प्रसाद राव निवासी हरिव्दार , 40 नक्सेअल्ली पुत्र अकसर अली दरगाह बाजार सरवाड, 41 नदीम पुत्र नईम

निवासी दरगाह बाजार सरवाड , 42 सोहेब पुत्र मुस्तफा दरगाह बाजार सरवाड, 43 मोहम्मद ईरसाद पुत्र नुरहस्न निवासी सारनपुर युपी, 44 प्रीतम पुत्र श्याम लाल जाति हरिजन निवासी सिविल लाईन अजमेर, 45 मंसुर शाह पुत्र अब्दुल रहमान निवासी दरगाह सरवाड जिला अजमेर , 46 तारीख हुसैन पुत्र पप्पुखां जाति मुस्लमान निवासी शाहजहा पुर युपी, 47 मोहम्मद हारुन पुत्र चन्द्रखां निवासी मामुसाहब दरगाह सरवाड 48 हिदायतुल्ला पुत्र जहरुद्दीन निवासी हरिव्दार, 49 अकरम शाबरी पुत्र आजमहुसैन निवासी कपासन जिला चित्तोड , 50 शैख हनीफ पुत्र शाबीरुद्दीन निवासी मदीनपुर वैस्ट बंगाल, 51 मोहम्मद मुशरफ पुत्र खुर्शीद हुसैन निवासी सरवाड जिला अजमेर, 52 मलीक ईकबाल पुत्र हनीफ मलीक इकबाल निवासी नागपुर महाराष्ट्र, 53 कलाम शेख पुत्र दाउद शेख निवासी कलकत्ता, 54 मोहम्मद इब्राहिम पुत्र साहुल हमीद निवासी दरगाह सरवाड जिला अजमेर , 55 मुस्ताक इब्राहिम पुत्र इब्राहिम निवासी सुसुडी मुम्बई, 56 मोहम्मद शाकीर पुत्र हसन अली निवासी सलमपुर दिल्ली, 57 नसीम अहम्मद पुत्र मुख्तयार अहमद निवासी अलीगढ युपी, 58 शायराम पुत्र सुर्या जाति कपुर निवासी नलगोंडा आन्धरप्रदेश, 59 चन्द्रकान्त पुत्र लक्ष्मण गोखले निवासी बेलगाम महाराष्ट्र, 60 मोहम्मद इम्तीयाज पुत्र मोहम्मद इलीयास निवासी बकखत पुर , 61 हसमाकुनील पुत्र अब्दुला हज निवासी कासनपुर केरल , 62 शेख बक्स पुत्र शेख बसीर निवासी नागपुर, 63 शेख महबुब पुत्र शेख मकसुद निवासी जालोन युपी, 64 रघुवीर पुत्र किशना जाति नायक उम्र 27 साल निवासी सोकलिया थाना सरवाड जिला अजमेर 65 कुलदीप पुत्र शिवराज जाति गुर्जर उम्र 28 साल निवासी गोयला थाना सरवाड जिला अजमेर 66 श्री रामनिवास पुत्र श्री माधु जाति बागरिया उम्र 45 साल निवासी मानपुर , 67 श्री रामराज पुत्र श्री नन्दा जाति बागरिया उम्र 35 साल निवासी हिगोनिया थाना सरवाड जिला अजमेर को धारा 151 सीआरपीसी मे गिरफतार किया गया।

पुलिस विभाग अजमेर

प्रेस नोट 08.01.2018

गिरफतारी वारण्ट में दो वारण्टी गिरफतार

पुलिस थाना रामगंज में पुलिस अधीक्षक जिला अजमेर के निर्देशानुसार पैण्डिंग स्थायी वारण्टी/299 सीआरपीसी/पीओ/मफरूर/गिरफतारी वारण्टीओं के खिलाफ चलाये जा रहे विशेष अभियान के तहत आज दिनांक 08.01.18 को गिरफतारी वारंटी दिनेश शर्मा पुत्र सत्यनारायण जाति ब्राहम्ण उम्र 42 साल निवासी चौड़ी गली जोंसगंज पुलिस थाना रामगंज अजमेर व श्रीमति काली पत्नी श्री रणजीत कंजर जाति कंजर उम्र 40 साल निवासी कंजर बस्ती रामगंज अजमेर आज दिनांक 08.01.18 को गिरफतार किया गया।

शांती व्यवस्था भंग करने के आरोप में 6 गिरफ्तार

पुलिस थाना रामगंज क्षैत्र में शांती व्यवस्था भंग करने पर 1 गज्जु उर्फ गजानन्द पुत्र स्व किषनलाल जाति सांसी उम्र 43 साल निवासी सांसीबस्ती

भगवानगंज थाना रामगंज अजमेर 2– रणजीत उर्फ कल्वा पुत्र स्व दिलीप जाति सांसी उम्र 28 साल निवासी सांसीबस्ती भगवानगंज थाना रामगंज अजमेर 3– बिहारी लाल पुत्र स्व किषनलाल जाति सांसी निवासी सांसीबस्ती भगवानगंज थाना रामगंज अजमेर 4– नरेश पुत्र सुरेश जाति सांसी उम्र 46 साल निवासी सांसी बस्ती भगवानगंज थाना रामगंज अजमेर 5 सिकन्दर पुत्र महावीर जाति मेहरात उम्र 25 साल निवासी सोमलपुर पुलिस थाना रामगंज अजमेर 6 चिराग शर्मा पुत्र स्व0 चन्द किशोर जाति ब्राहम्ण उम्र 29 साल निवासी सुभाष नगर पुलिस थाना रामगंज अजमेर को धारा 151 जाफौ मे गिरफतार किया गया।

185 एम0वी एक्ट की कार्यवाही

पुलिस थाना अलवर गेट में पुलिस अधीक्षक जिला अजमेर के आदेशो की पालना मे आज दिनांक को 2 मोटर साईकिल चालकों द्वारा आम सडक पर नशे शराब में वाहन को लहराते हुए चलाते पाये जाने ब्रेथएनलाईजर मशीन से नशे शराब का परीक्षण किया तो नशें शराब में पाये जाने पर उक्त दोनों वाहन चालकों के विरूद्व 185 एम0वी एक्ट की कार्यवाही कर उक्त वाहनों को जब्त कर थाना परिसर में खडा करवाया गया ।

<u>पुलिस विभाग अजमेर</u>

<u>प्रेस नोट 07.01.2018</u>

स्थायी वारण्टी में एक वारण्टी गिरफ्तार

पुलिस थाना केकडी में ओमप्रकाश मय राजकिरण , रामराज के द्वारा स्थायी वारण्टी रामफूल पुत्र सीताराम जाति खटीक उम्र 40 साल निवासी तसवारिया पुलिस थाना केकडी जिला अजमेर को चैक अनादरण के सात मामलों में लम्बे समय से तारिख पैशी से फरार चलने पर न्यायालय द्वारा जारी सात स्थाई वारण्ट के तहत गिरफ्तार किया गया।

स्थाई वारण्टी वारण्टी गिरफ्तार

पुलिस थाना आदर्शनगर पुलिस अधीक्षक जिला अजमेर के द्वारा चलाये अभियान के तहत पुलिस थाना आदर्शनगर आगामी लोकसभा उप चुनाव को मध्यनजर रखते हुए वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक जिला अजमेर के द्वारा चलाये अभियान के तहत पुलिस थाना आदर्शनगर की टीम राजपाल सिंह समर्थ सिंह सुरेश द्वारा न्यायालय श्रीमान जे.एम. 4 द्वारा जारी स्थाई वारण्ट में वांछित अपराधी महावीर सिंह पुत्र बीजा सिंह जाति रावत उम्र 24

साल नि. आम का बेरा ग्राम माखुपुरा थाना आदर्शनगर को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया।

आर्म्स एक्ट मे एक मुल्जिम गिरफतार, मुकदमा दर्ज

पुलिस थाना रामगंज में थानाधिकारी अजयकांत पुनि के निर्देशन मे मुकेश कुमार सउनि मय जाप्ता द्वारा सांसी बस्ती भगवानगंज अजमेर पर मुल्जिम राकेश उर्फ लाला पुत्र श्यामलाल जाति सांसी उम्र 19 साल निवासी सरकारी स्कूल के पास सांसी बस्ती भगवानगंज थाना रामगंज अजमेर के कब्जे से बिना लाईसेंस के अवैध रूप से निर्धारित नाप से लंबा एक धारदार छुर्रा पाया जाने पर धारदार छुर्रा को जप्त कर मुल्जिम को गिरफतार किया जाकर मुल्जिम के विरूद्व मुकदमा नं 08/18 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट मे दर्ज किया गया।

शांती व्यवस्था भंग करने पर 4 गिरफतार

पुलिस थाना रामगंज में शांती व्यवस्था भंग करने पर 1– हेमंत सिंह सेवरिया पुत्र दुर्गा सिंह जाति कोली उम्र 24 साल निवासी रोजमेल प्रेस गौतम नगर थाना रामगंज अजमेर 2– मनीष कुमार पुत्र किशनलाल जाति धानका उम्र 28 साल निवासी क्वाटर नं. 482 ऑल सेंट स्कूल के पीछे थाना रामगंज अजमेर 3–अनिल कुमार पुत्र रामगोपाल जाति कोली उम्र 21

साल निवासी रोजमेल प्रेस गौतम नगर थाना रामगंज अजमेर 4– खेमचंद पुत्र राजकुमार जाति कोली उम्र 21 साल निवासी रोजमेल प्रेस गौतम नगर थाना रामगंज अजमेर को धारा 151 जाफौ मे गिरफतार किया गया।

अवैध देशी शराब सहित एक आरोपी गिरफ्तार

जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में जोगेन्द्र राठौड पु0 सीताराम छोटूराम मय सरकारी जीप के मय अनुसंधान बोक्स मय लेप टोप मय प्रिन्टर के टास्क कार्यवाही हेतु थाना हाजा से रवाना भटट गैस्ट हाउस के पास पहुंचा तो जहा पर मुखविर खास ने एसएचओ को इतला दी कि चैनपुरिया मे एक व्यक्ति शराब बेच रहा है उक्त इतला मोमिन होने पर हमरा जाप्ता को अवगत करवाया गया व स्वतंत्र गवाह लाने हेतू सीताराम को मुनासिव हिदायत कर रवाना किया गया जिसने कुछ समय बाद ही आकर बताया कि कोई भी व्यक्ति कोर्ट में गवाही के चक्कर में नहीं पडने के कारण गवाह बनने के लिये तैयार नहीं है। ऐसी सूरत में हमरा जाप्ता में से सीताराम छोटूराम को स्वतंत्र गवाह मामूर किया जाकर मौखिक रुप से सहमती प्राप्त की गई। भटट गैस्ट हाउस से रवाना होकर चैनपुरिया गोपाल जी के फार्म से थोडा आगे पहॅुचे तो एक व्यक्ति मुतावित इतला मुखविर के तिराहे के पास दिवार के पास शराब बेचता नजर आया जो कि पुलिस की जीप को देखकर जाने लगा जिसे हमरा जाप्ता ने व मन एसएचओ ने रोका व नाम पता पूछा तो अपना नाम शोभराज पुत्र नोरत जाति मेहरा उम्र 28 साल निवासी चेनपुरिया थाना मदनगंज जिला अजमेर

का होना बताया व शोभराज के पास एक कार्टून मिला जिसको देखा गया तो कार्टून में देशी शराब के पब्बे भरे हुये पाये गये शोभराज से उक्त शराब के बारे में पुछा गया तो गल्ती की माफी चाहने लगा श्री शोभराज से उक्त शराब को अपने कब्जे में रखने व बेचने बावत परमिट व लाईसेन्स मॉगा गया तो अपने पास परमिट व लाईसेन्स नहीं होना बताया श्री शोभराज का यह कृत्य धारा 19/54 एक्साईज एक्ट की हद तक पहुॅचने पर कार्टून को खोलकर पब्बे गिने गये तो कुल 20 पब्बा देशी शराब के होना पाया गया जिन्हे कब्जे पुलिस लिया गया। 20 पब्बा प्लास्टिक के जिसमें देषी शराब ढोला मारु स्ट्रांग देशी शराब 180 एमएल 40 यूपी विनटेज डिस्टिलर्स लिमीटेड 117 एमआईए अलवर राजस्थान के मिले। 20 पब्बा देषी मदिरा सादा में से एक पब्बा बतौर नमूना सेम्पल लिया जाकर पब्बा को शील्ड मोहर कर मार्का ए अंकित किया गया शेष बचे 19 पब्बो को उसी कार्टून में रखकर शील्ड मोहर कर मार्का बी अंकित किया गया। मुलजिम शोभराज को जरिये फर्द गिरफतार किया गया। र्फद जप्ती पर नमूना शील अंकित की गई बाद कार्यवाही के हाजिर थाना आया हालात उच्च अफसरान बाला को निवेदन किये गये आदि पर मु0 न0 01/2018 धारा 19/54 एक्साईज एक्ट में कायम कर तफतीश श्री हनुमान सहाय एसआई के जिम्मे की गई प्रतिया एफआईआर नियमानुसार जारी की गई जप्त शुदा माल व नमूना सेम्पल को जमा माल खाना करवाया गया एवम मुलजिम शोभराज को बन्द हवालात किया जाकर मामूरा संतरी को सुपुर्द किया गया।

8 गिरफ्तारी वारंटी व एक स्थायी वारंटी गिर

पुलिस थाना कि.गंज अजमेर ने एक टीम विशेष का गठन कर लोकसभा उप चुनाव को मध्य नजर रखते 8 गिरफतारी वारंटी व 1 स्थायी गिरफतारी वारंटी को गिरफतार कर पेश न्यायालय किया गया।

शांति भंग के आरोप में गिरफतार

पुलिस थाना कि.गंज में गैरसायल पक्ष बाबू पुत्र सुबान जाति चीता उम्र 40 वर्ष निवासी चौरसियावास ईदगाह रोड अजमेर व दुसरे व्यक्ति ने अपना नाम सुभान पुत्र जफरू जाति चीता उत्र 69 साल निवासी ईदगाह कॉलोनी विक्रम स्कुल के पास थाना क्रिश्चियन गंज अजमेर द्वारा दुसरे पक्ष मुकेश कुमावत पुत्र रामलाल उम्र 35 साल जाति कुमावत निवासी जम्बेश्वर कॉलोनी ईदगाह रोड थाना क्रिश्चियन गंज अजमेर व कैलाश कुमावत पुत्र रामलाल जाति कुमावत उम्र 36 साल निवासी ईदगाह रोड जम्बेश्वर नगर वैशाली नगर अजमेर द्वारा आपस में लड़ाई झगड़ा कर शांति व्यवस्था भंग करने पर धारा 151 जा.फौ. में गिरफतार कर पेश न्यायालय किया गया। तथा गैरसायलान 1 रमेश पुत्र नारायण प्रकाश उम्र 67 साल जाति माथुर निवासी पुष्कर बाईपास गांव माकडवाली 2 मुकेश पुत्र मदन लाल उम्र 42 साल जाति खटीक निवासी कमला बावडी थाना गंज अजमेर व 3 हाकम पुत्र जफरू उम्र 30 साल जाति चीता निवासी चौरसियावास रोड मस्जिद के पिछे अजमेर को लोकसभा उप चुनाव को मध्य नजर रखते हुए लड़ाई झगड़ा कर शांति व्यवस्था भंग करने पर धारा 151 जा.फौ. में गिरफतार कर पेश न्यायालय किया गया।

पुलिस विभाग अजमेर

प्रेस नोट 06.01.2018

19–20 वर्षीय युवति की अज्ञात व्यक्ति द्वारा हत्या करने वालो के विरूद्व मुकदमा दर्ज

पुलिस थाना रामगंज में जौसगंज अजमेर मे आज दिनांक 06.01.18 को सुबह 7.30 एएम पर प्रार्थी अनिल कुमार पुत्र मोहन सिह जाति कुशवाह ठाकुर उम्र 52 साल निवासी जौसगंज माता वाली गली पुलिस थाना रामगंज अजमेर की पुत्री कोमल की अज्ञात व्यक्तियों द्वारा गला घोटकर हत्या कर लाश को प्रार्थी के मकान की दिवार के बाहर फेंक देने पर प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना हाजा पर मुकदमा नंबर 07/18 धारा 302,201 भादस मे दर्ज कर अनुसंधान मन थानाधिकारी द्वारा किया जा रहा है। प्रकरण हाजा मे मृतका सुश्री कोमल का पोस्टमार्टम मेडिकल बोर्ड से करवाया जाकर लाश प्रार्थी को सुपुर्द कर हालात तफतीश श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय , अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय , श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय सीओ वृत दक्षिण को निवेदन किये गये। प्रकरण हाजा मे हर पहलू को मध्यनजर रखते हुये बारिकी से अनुसंधान जारी है एंव मुल्जिमान की तलाश जारी है।

48 पव्वे देशी शराब के जप्त, एक मुल्जिम गिरफतार, मुकदमा दर्ज

पुलिस थाना रामगंज में पुलिस अधीक्षक जिला अजमेर के निर्देशानुसार अवैध शराब के खिलाफ चलाये जा रहे विशेष अभियान के तहत दिनांक 05.01.18 को थाना हाजा क्षैत्र शमशान के पास आशागंज अजमेर मे मुकेश कुमार सउनि मय जाप्ता द्वारा दबिश देकर मुल्जिम श्री बंटी पुत्र दिलीप जाति सांसी उम्र 29 साल निवासी सांसी बस्ती भगवागनंज थाना रामगंज अजमेर के कब्जे से 48 पव्वे देशी शराब को जप्त कर मुल्जिम को गिरफतार किया गया एवं मुल्जिम के विरूद्व मु0न0 06/18 धारा 19/54 आबकारी अधिनियम मे मुकदमा दर्ज किया गया।

शांती व्यवस्था भंग करने पर 2 गिरफतार

पुलिस थाना रामगंज मक्षैत्र में शांती व्यवस्था भंग करने पर 1– ताराचंद पुत्र पापा लाल जाति खटीक उम्र 45 साल निवासी फरीदाबाग कोलोनी थाना रामगंज अजमेर 2– अविनाश उर्फ बबलू पुत्र तारांचद उम्र 28 साल निवासी फरीदाबाग कोलोनी थाना रामगंज अजमेर को धारा 151 जाफौ मे गिरफतार किया गया।

स्थायी गिरफतारी वारण्टी गिरफतार

पुलिस थाना रामगंज स्थायी वारण्टी/299 सीआरपीसी/पीओ/मफरूर/गिरफतारी वारण्टीओं के खिलाफ चलाये जा रहे विशेष अभियान के तहत मन थानाधिकारी के निर्देशन मे श्री किशन सिंह हैड कानि 142 मय जाप्ता द्वारा थाना हाजा पर पैण्डिंग स्थायी वारण्टी श्री अमनप्रीत सिंह पुत्र श्री बलदेव सिंह निवासी म0न0 526 सी.टी. क्लीन कैफे के पास गोविंद नगर रामगंज थाना रामगंज अजमेर आज दिनांक 06.01.18 को गिरफतार किया गया।

151 सीआरपीसी मे गिरफतार किया गया।

पुलिस थाना सरवाड में श्री नन्दकिशोर पुत्र श्री मोहनलाल जाति तेली उम्र 25 साल, 2 श्री भागचन्द पुत्र श्री भैरूलाल जाति माली उम्र 26 साल निवासी फतेहगढ थाना सरवाड जिला अजमेर 3 श्री महावीर पुत्र श्री भैरू जाति तेली उम्र 30 साल निवासी चकवा, 4 श्री महेन्द्र पुत्र श्री जगदीश जाति दरोगा उम्र 35 साल निवासी चकवा, 5 श्री जमिल अख्तर पुत्र श्री फकीर मौहम्मद जाति मुसलमान उम्र 46 साल निवासी फतेहगढ, 6 श्री ईस्लाम पुत्र चांद मौहम्मद जाति मुसलमान उम्र 35 साल निवासी फतेहगढ

थाना सरवाड जिला अजमेर को धारा 151 सीआरपीसी मे गिरफतार किया गया।

185 एमवी एक्ट में गिरफतार किया गया।

पुलिस थाना सरवाड में कन्हैयालाल पुत्र श्री गुलाबचन्द जाति रावत निवासी काजिपुरा थाना केकडी, 2 श्री संदीप पुत्र श्री रामलाल जाति मेघवंशी निवासी मदार थाना अलवरगेट जिला अजमेर, 3 श्री रमेश पुत्र श्री पन्नालाल जाति बैरवा निवासी बारला पोलिया थाना हनुमान नगर जिला भीलवाडा को धारा 185 एमवी एक्ट में गिरफतार किया गया।

60 पुलिस एक्ट मे गिरफतार किया गया।

पुलिस थाना सरवाड में दुर्गालाल पुत्र श्री रामधन जाति बैरवा निवासी देवली थाना देवली जिला टोंक, 2 श्री रूपेन्द्र पुत्र श्री प्रहलाद जाति राजपुत निवासी प्रतापनगर थाना सिविललाईन जिला अजमेर, 3 श्री जेठमल पुत्र श्री छोगा जाति बेरवा निवासी फारकिया थाना केकडी, 4 श्री सत्यनारायण पुत्र श्री राधाकिशन जाति गुर्जर उम्र 45 साल निवासी केरिया थाना भिनाय, 5 श्री मनोज पुत्र श्री रामस्वरूप जाति सांसी निवासी केकडी

थाना केकडी जिला अजमेर को धारा 60 पुलिस एक्ट बेग गिरफतार किया गया।

पुलिस विभाग अजमेर

प्रेस नोट 05.01.2018

अवैध रूप से एक धारदार चाकू पाया जाने पर धारदार चाकू को जप्त कर मुल्जिम को गिरफतार

पुलिस थाना रामगंज में थानाधिकारी अजयकांत पुनि के निर्देशन मे विजय कुमार सउनि मय जाप्ता द्वारा जौसगंज अजमेर पर मुल्जिम अजय उर्फ बोली पुत्र गोपाल जाति धोबी उम्र 35 साल निवासी रेल्वे क्वाटर नंबर 2035/सी जौसगंज थाना रामगंज अजमेर के कब्जे से बिना लाईसेंस के अवैध रूप से एक धारदार चाकू पाया जाने पर धारदार चाकू को जप्त कर मुल्जिम को गिरफतार किया जाकर मुल्जिम के विरूद्व मुकदमा नं 05/18 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट मे दर्ज किया गया।

ताश पत्ती से जुआ खेलते 2 मुल्जिम गिरफतार, 1240 रूपये जप्त

पुलिस थाना रामगंज में पुलिस अधीक्षक जिला अजमेर के निर्देशानुसार जुआ सटटा के खिलाफ चलाये जा रहे विशेष अभियान के तहत दिनांक 04.01.18 की रात्री मे थानाधिकारी अजयकांत पुनि के निर्देशन मे भरत सिंह

हैड कानि 1019 मय जाप्ता द्वारा कंचन नगर अजमेर पर दबिश मौके पर ताश पत्ती से रूपये हारजीत का दांव लगा कर जुआ खेल रहे मुल्जिमान 1–शाहरूख अली पुत्र छोटू अली जाति मुसलमान उम्र 21 साल निवासी दौराई पुलिस थाना गंज अजमेर 2– ललित कुमार पुत्र मणुझुमल जाति सिंधी उम्र 31 साल निवासी म0न0 2/178 कंचन नगर पुलिस थाना रामगंज अजमेर को गिरफतार कर मुल्जिमान के कब्जे से 2140 रू व ताश पत्ती जप्त कर मु0न0 04/18 धारा 13 आरपीजीओ मे दर्ज किया गया।

अवैध शराब सहित एक आरोपी गिरफ्तार

पुलिस थाना अलवर गेट में पुलिस अधीक्षक जिला अजमेर के आदेशो की पालना हरिपाल सिंह पु.नि. मय कुन्नाराम श्याम सिंह अनुसंधान बॉक्स, लेपटॉप प्रिन्टर, सरकारी बोलेरो के सांयकालीन गश्त, चौकिंग बदमाशान व रोकथाम अपराध हेतु थाना अलवर गेट से रवाना होकर गश्त करते हुए मेयो लिंक रोड़ पहुॅचे जहॉ पर मुखबीर खास ने सूचना दी कि राबड़िया मौहल्ला में हेमराज नाम का व्यक्ति अवैध शराब बैचने का काम करता है, जो सफेद प्लास्टिक के कट्टे में देशी शराब के पव्वे लेकर बैच रहा है, तुरन्त दबिश दी जावे तो पकड़ में आ सकता है, मुखबीर की सूचना विश्वसनीय होने पर हमराही जाप्ता को मुखबीर की सूचना से अवगत कराकर कुन्नाराम को कार्यवाही हेतु दो स्वतंत्र गवाह तलब कर लाने के लिए रवाना किया, जिसने कुछ समय बाद वापस आकर बताया कि कोर्ट, पुलिस कार्यवाही में नहीं पड़ने व स्थानीय मामला होने से कोई गवाह बनने

को तैयार नहीं है । इस पर हमराही जाप्ता में से कुन्नाराम श्याम सिंह को गवाह मामूर कर मय हमराही जाप्ता के मेयो लिंक रोड़ से रवाना होकर राबड़िया मौहल्ला पहुॅचे, जहॉ पर एक मकान के बाहर मुखबीर के बताये अनुसार एक व्यक्ति अपने दाहिने हाथ में प्लास्टिक कट्टा लिए खड़ा दिखाई दिया, जो पुलिस गाड़ी को आते देखकर प्लास्टिक कट्टा मौके पर ही छोड़कर भागने लगा जिसका मनैभ्‍ व हमराही जाप्ता ने पीछा किया लेकिन वह अन्धेरा का फायदा उठाकर कहीं मकानों में छिप गया जो काफी तलाश करने पर भी नहीं मिला। हमराही जाप्ता में से श्याम सिंह ने बताया कि भागने वाला व्यक्ति हेमराज खटीक पुत्र स्व. प्रभूदयाल उर्फ पप्पी जाति खटीक निवासी राबड़िया मौहल्ला अजमेर है, जो थाना का हिस्ट्रीशीटर है व अवैध शराब बैचने का काम करता है, जिसको मैं जानता हूॅ । तत्पश्चात उक्त व्यक्ति हेमराज खटीक द्वारा भागते समय मौके पर छोड़े गये प्लास्टिक कट्टे को चौक किया तो कट्टे में देशी शराब घूॅमर के 50 80 क्षमता के कुल 53 प्लास्टिक पव्वे मिले जिन पर नीले रंग के ढक्कन लगे हुए है तथा लेबल व ढक्कन पर लिखा हुआ है । उक्त व्यक्ति हेमराज खटीक द्वारा बिना लाईसेन्स व परपीट के अपने कब्जे में अवैध देशी शराब रखना जुर्म धारा 19/54 **राजस्थान आबकारी अधिनियम** 1950 के तहत दण्डनीय अपराध होने से शराब को बतौर वजह सबूत कब्जे पुलिस लिया जाकर आदि रिपोर्ट पर प्रकर.ा संख्या 10/18 धारा 19/54 राज0आबकारी अधिनियम 1949 में दर्ज कर अनुसंधान सउनि हनुमान सिंह के जिम्मे किया जाकर अनुसंधान आरम्भ किया •या।

स्थायी गिरफतारी एक वारण्टी गिरफतार

पुलिस थाना रामगंज में पुलिस अधीक्षक जिला अजमेर के निर्देशानुसार पैण्डिंग स्थायी वारण्टी/299 सीआरपीसी/पीओ/मफरूर/गिरफतारी वारण्टीओं के खिलाफ चलाये जा रहे विशेष अभियान के तहत मन थानाधिकारी के निर्देशन मे मुकेश कुमार सउनि मय जाप्ता द्वारा थाना हाजा पर पैण्डिंग स्थायी वारण्टी अन्जन शर्मा पुत्र रमेश चंद जाति ब्राहम्मण उम्र 42 साल निवासी जौंसगंज मैन रोड थाना रामगंज अजमेर आज दिनांक 04.01.18 को गिरफतार किया गया।

शांती व्यवस्था भंग करने पर 1 व्यक्ति गिरफतार

पुलिस थाना रामगंज में शांती व्यवस्था भंग करने पर मुकेश उर्फ भरत कुमार पुत्र मोहन दास जाति सिंधी उम्र 30 साल निवासी यूआईटी कोलोनी अजयनगर थाना रामगंज अजमेर को धारा 151 जाफौ मे गिरफ्तार किया गया।

शांती व्यवस्था भंग करने पर 2 गिरफतार

पुलिस थाना रामगंज में क्षैत्र में शांती व्यवस्था भंग करने पर 1। विक्रम पुत्र कमल जाति सांसी उम्र 30 साल निवासी सांसी बस्ती भगवागनंज थाना रामगंज अजमेर 2–आनन्द पुत्र कमल जाति सांसी उम्र 25 साल निवासी सांसी बस्ती भगवागनंज थाना रामगंज अजमेर को धारा 151 जाफौ मे गिरफतार किया गया।

पुलिस विभाग अजमेर

प्रेस नोट 04.01.2018

चार व्यक्ति ताश पति से रूपयो की हार जीत का दांव लगाकर जुआ खेल आरोपी गिरफ्तार

पुलिस थाना अलवर गेट में जिला अजमेर के आदेशो की पालना मे पुष्पलता मय . देवाराम सायकालीन गस्त के दौराने मुखबीर खास ने सुचना दी कि जे.पी. नगर राशन की दुकान के पास मोड पर पहाडी की ओट मे चार व्यक्ति ताश पति से रूपयो की हार जीत का दांव लगाकर जुआ खेल रहे है तुरत दबिश दी जावे तो पकड मे आ सकते है मुखबीर की सूचना विश्वसनीय होने से हमराही जाप्ता मे से श्री देवाराम को मुरारी को मय अनुसंधान बाक्स के तलब कर मुखबरी की सुचना से अवगत कराकर मन सउनि मय देवाराम मुरारी लाल मय अनुसंधान बाक्स मय नीजी वाहन मय निजी लैपटाप के रवाना होकर चौकी जे.पी. नगर से राशन की दुकान जे.पी नगर पर पहुची देवाराम कार्यवाही हेतु दो स्वतंत्र गवाह तलब कर लाने के लिए रवाना किया जिसने छोडी देर बाद वापस आकर बताया कि स्थानीय मामला होने व पुलिस कोर्ट के चक्कर मे नही पडने से कोई गवाह नही मिला जिस पर हमराही जाप्ता मे से श्री देवाराम, मुरारी लाल को गवाह मामूर कर मन सउनि मय जाप्ता के रवाना होकर समय जे. पी. नगर राशन की दुकान के पास मोड पर पहाडी की ओट के पास मुखबीर द्वारा बताई जगह पहुचकर चार व्यक्ति घेरा देकर बैठे दिखाई देने पर मन सउनि व हमराही जाप्ता ने छिपते छिपते हुए नजदीक पहुचकर अचानक घेरा देखर पकडा व ज्यो का त्यो बैठे रहने की हिदायत देकर नाम पता पुछा व चौक किया तो पहले व्यक्ति अपना नाम धमेन्द्र पुत्र स्व. श्री राजेन्द्र जाति ब्रहामण उम्र 27 वर्ष निवासी म.न. 2358 सेक्टर न. एक जे.पी. नगर अजमेर बताया जिसको चौक करने पर दाहिने हाथ मे तीन ताश पत्ती हुकम की बेगम , लाल पान की नहला व चीडी की छगी तथा बाये दुटने के नीचे 600 रुपये दूसरे व्यक्ति ने अपना नाम लालचद पुत्र स्व. श्री हेमनदास जाति सिधी उम्र 38 साल निवासी म.न. 190सेक्टर न. एक जे.पी. नगर अजमेर बताया जिसको चौक करने पर दाहिने हाथ मे तीन प्ती चीडी का बादशाह ईट की अठ्ठी व लाल पान की तीगी तथा बाये घुटने के नीचे 700 रूपये मिले व तीसरे व्यक्ति ने अपना नाम विजय कुंमार पुत्र राजकुमार जाति सिधी उम्र 25 साल निवासी बी.पी.एल क्वाटर न. 15जे.पी. नगर अजमेर बताया जिसको चौक करने पर

दाहिने हाथ मे तीन ताश पत्ती लाला पान की बेगम चीडी की दसला व ईच का गुलाम मिले तथा बये घुटने के नीचे 700 रुपये चौथे व्यक्ति ने अपना नाम जावेद पुत्र श्री अब्दुल कयुम जाति मुसलमान उम्र 36 साल निवासी म.न.2 बी 9 डबल स्टोरी जे.पी. नगर अजमेर बताया जिसको चौक करने पर दाहिने हाथ तीन ताश पत्ती लाल पान की बादशाह , चीडी की नहला व हुकुम की छिगी मिले तथा बाये घुटने के नीचे 700 रुपये मिले तथा हर चारो व्यक्तयो के बीच मे रकम दाव 400 रूपये व 40 ताश पत्ते मिले इस प्रकार उपरोक्त हर चारो व्यक्तियो द्वारा सार्वजनिक स्थान पर ताश पत्ती से रूपयो की हार जीत का दाव लगाकर जुआ खेलना अपराध धारा 13 त्च्ळव के तहत दण्डनीय अपराध होने से मौके पर ही कुल रकम जुआ 3100 रूपये व अशयाय जुआ 52 ताश पत्तो को कब्जे पुलिस लिया जाकर बतौर वजह सबूत जरिये फर्द जब्ती कर एक सफेद कपडे की थैली मे रखकर शील्ड मोहर कर मार्का ।अकित किया गया व अभियुक्तगण धमेन्द्र, लालाचंद, विजय कुमार व जावेद द्वारा संज्ञेय अपराध करते हुए पाये जाने व दूसरे अपराध करने से रोकनो के लिए धमेन्द्र , लालचंद विजय कुमार व जावेद व शील्ड पैकिट मार्का । व मूर्तीबा फर्दात के घटना स्थल से रवाना होकर हाजिर थाना आयी हूं अत रिपोर्ट उचित कार्यवाही हेतु की सेवामे मे पेश है भवदीय पुश्पलता सउनि अनुसंधान अधिकारी पुलिस थाना अलवर गेट जिला अजमेर राज. कार्यवाही पुलिस थाना अलवर गेट अजमेर दिनांक 4.1.2018 समय 6.37 ंउ प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा रिपोर्ट मय मुर्तीबा फर्दात फर्द जप्ती शिल्ड पैकेट मार्का । व अदम अदखाल जमानत गिर. शुदा अभियुक्तगण धमेन्द्र , लालचंद विजय कुमार व जावेद के पुष्पलता सउनि मय जाप्ता के उपस्थित थाना होकर पेश की मजमून रिपोर्ट से मामला जुर्म धारा 13 त्च्ळव का पाया जाता है अत मु.न. 8/18 धारा उपरोक्त मे दर्ज कर अनुसंधान दयानन्द शर्मा सउनि के जिम्म की गईआदि रिपोर्ट पर प्रकर.ा संख्या 08/18 धारा 13 आरपीजीओं में दर्ज किया गया।

<u>खुलेआम धारदार चाकू लेकर घुमता एक व्यक्ति गिरफतार</u>

पुलिस थाना पुष्कर में नाथूलाल सउनि द्वारा दौराने गश्त मुखबिर की इत्तला पर मेला ग्राउण्ड पुष्कर के पास नगरपालिका सीमा मे खुलेआम धारदार चाकू लेकर घूमते अभियुक्त त्रिलोक पुत्र शेरसिंह जाति रावत उम्र 38 साल निवासी गनाहेडा को गिरफतार किया। इस संबंध मे थाना हाजा पर प्रकरण संख्या 04/18 धारा **4/25 आर्म्स एक्ट मे दर्ज** किया गया।

173(8) सीआरपीसी मे गिरफतार किया गया।

पुलिस थाना सरवाड में हरिराम पुत्र रामचन्द्र जाति गुर्जर उम्र 25 साल निवासी झीरोता थाना बोराडा जिला अजमेर को धारा 173(8) सीआरपीसी मे गिरफतार किया गया।

शांति भंग के आरोप में दो आरोपी गिरफ्तार

पुलिस थाना सरवाड में 1 हरिराम पुत्र घीसा जाति खटीक उम्र 30 साल, 2 महावीर पुत्र पीरू जाति कुम्हार उम्र 35 साल निवासीगण फतेहगढ थाना सरवाड जिला अजमेर को धारा 151 सीआरपीसी मे गिरफतार किया गया।

185 एमवी एक्ट में दो आरोपी गिरफतार किया गया।

पुलिस थाना सरवाड में 1 शंकरलाल पुत्र राधाकिशन जाति नाई उम्र 40 साल निवासी लल्लाई थाना सरवाड जिला अजमेर, 2 विष्णुसिंह पुत्र लक्ष्मण सिंह जाति राजपुत उम्र 35 साल निवासी जालिया थाना भिनाय जिला अजमेर को धारा 185 एमवी एक्ट में गिरफतार किया गया।

पुलिस विभाग अजमेर

प्रेस नोट 03.01.2018

अवैध गोवशीय पशु बछडो को कत्ल खाना ले जाना वाला आरोपी मुनीम गिरफ्तार

पुलिस थाना रूपनगढ में पुलिस अधीक्षक जिला अजमेर के निर्देशन मे आगामी चुनावो को मध्यनजर रखते हेतु सजग रात्रि गश्त के दौरान मुखबीर की इतला पर थानाधिकारी दिनेश कुमार उप निरीक्षक मय जाप्ता नन्दकिशोर गोदारा सावता राम मय जीप सरकारी के नुंवा चौराहा रूपनगढ पर नाकाबंदी कर ग्रामीणो की मदद से वाहन ट्रक नम्बर आरजे–26–जीए–0476 मे भरे 21 गोवंश बछडो को कत्ल खाने में ले जाते हुये ट्रक चालक मुनीम पुत्र गफूर खान जाति बंजारा मुसलमान निवासी ईस्लामपुरा डिग्गी ,मालपुरा टोंक को गिरफतार किया। ट्रक में ठसाठस बछडे भरे होने से 01 गोवंश बछडा मृत अवस्था में पाया गया जिसका

पोस्टमार्टम करवाया गया आरौपी मुनीम ने बताया कि ट्रक से हम बछडो को उत्तर प्रदेश के कत्ल खाने लेकर जा रहै थे । अभियुक्त मुनीम को पेश न्यायालय किया गया। न्यायालय के आदेशानुसार केन्द्रीय कारागृह अजमेर में दाखिल करवाया गया ।

अवैध देशी व अग्रेजी शराब बिना लाईसेस के रखने पर आरोपी अर्जुन लाल गुर्जर गिरफतार

पुलिस थाना रूपनगढ में पुलिस अधीक्षक जिला अजमेर के निर्देशन मे आगामी चुनावो के मध्यनजर लोकल व स्पेशल एक्ट की कार्यवाही करते हुये मन थानाधिकारी दिनेश कुमार उप निरीक्षक मय जाप्ता श्रवण राम, नन्दकिशोर गोदारा भंवराराम के ग्राम छोटा नरेना मे अवैध अग्रेजी व देशी शराब बिना लाईसेंस व परमिट के रखने पर अर्जुन लाल गुर्जर पुत्र धन्ना जाति गुर्जर उम्र 40 साल निवासी छोटा नरेना रूपनगढ अजमेर को

गिरफतार किया जिसके कब्जे से 11 पेटी देशी व अग्रेजी शराब जप्त की गई। अभियुक्त अर्जून लाल गुर्जर को पेश न्यायालय किया गया।

जुआ खेलते एक आरोपी गिरफ्तार

पुलिस थाना नसीराबाद सिटी द्वारा टास्क कार्यवाही करते हुये शक्स श्री करण सिंह पुत्र श्री नानक सिंह जाति कोली उम्र 48 साल निवासी सुन्हरी मौहल्ला थाना अलवर गेट जिला अजमेर को सार्वजनिक स्थान पर सटटे की खाईवाली करते हुये गिरफतार किया गया जिस पर थाना हाजा पर मुकदमा नम्बर 02/2018 13 आरपीजीओ मे मुकदमा दर्ज किया गया।

अवैध शराब सहित एक आरोपी गिरफ्तार

पुलिस थाना अरांई मे पुलिस अधीक्षक जिला अजमेर के निर्देशानुसार स.उ.नि मुकेश कुमार मय रामरतन मय जीप सरकारी मय चालक रामस्वरूप मय अनुसंधान बॉक्स मय गिरफतारशुदा मुल्जिम शिवराज ग्राम चौसला बस स्टेण्ड पर पंहुचा की मुखबिर खास ने सउनि को इत्तला दी कि एक व्यक्ति चौसला ढाबा के सामने एक कटटा लिये खडा है जिसमें अवैध शराब हो

सकती है। आदि इत्तला से हमराही जाप्ता को अवगत कराया गया एवं हमराह जाप्ता में से रामरतन को दो स्वतंन्त्र गवाह तलब कर लाने हेतु हिदायत कर रवाना किया जिसने कुछ समय पश्चात वापस आकर मुझे बताया कि कोई भी व्यक्ति कोर्ट कचहरी के डर से गवाह बनने को तैयार नही है। जिस पर हमरा जाप्ता में रामरतन व रामस्वरूप को गवाह मामूर कर रवाना हो चौसला ढाबा गांव चौसला के सामने पहुंचे तो मुताबिक ईत्तला के एक व्यक्ति चौसला ढाबे के सामने सिर पर एक सफेद प्लास्टिक का कट्टा रखा हुआ दिखायी दिया, जिसको हाथ से रूकने का इशारा किया तो भागने का असफल प्रयास किया जिसको हमराही जाप्ता के बामुश्किल पकडा व तसल्ली देकर नाम पता पूछा तो अपना नाम शिवराज पुत्र श्रीकिशन जाति जाट उम्र 27 साल निवासी रामनेर की ढाणी पुलिस थाना गांधी नगर जिला अजमेर का होना बताया एंव प्लास्टिक के कट्टे मे रखे हुये सामान बाबत पूछा तो घबराते हुये कुछ नही होना बताया जिस पर प्लास्टिक के कटटे में रखे कार्टूनो को खोलकर चैक किया तो ढोला मारू स्ट्राग देशी शराब के कुल 55 प्लास्टिक के पव्वे एवं कुल 14 बियर की बोतले हाईवरड की भरी हुयी मिली। मौके की कार्यवाही कर हाजिर थाना आकर रिपोर्ट पेश की जिस पर प्रकरण संख्या 02/18 धारा 19/54 आबकारी अधिनियम में दर्ज किया गया।

10 एमवी एक्ट के चालान किये गये।

पुलिस थाना अलवर गेट में पुलिस अधीक्षक जिला अजमेर के आदेशो की पालना मे आज दिनांक को नियम विरूद्ध वाहन चलाते हुऐ पाये जाने पर 10 एमवी एक्ट के चालान किये गये।